महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-प्रशि./रिफ्रे.पाठ./2022/684-834

दिनांक 01.04.2022

स्थायी आदेश 04/2022
प्रहरी/वरिष्ठ प्रहरी एवं मुख्य प्रहरी संवर्ग हेतु रिफ्रेशर कोर्स

1. कारागार विभाग में वर्तमान समय की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर में निम्नांकित पाठ्यक्रमानुसार रिफ्रेशर कोर्स आयोजित किये जाने है।

2. कोर्स की कुल अवधि 02 सप्ताह (14 दिवस) की होगी, जिसमें इन्डोर विषय के 60 तथा आउटडोर विषय के 36 कालांश होगे।

3. प्रहरी/वरिष्ठ प्रहरी के लिए रिफ्रेशर कोर्स प्रशिक्षण के लिए कम से कम 5 (पाँच) वर्ष का सेवाकाल आवश्यक है। प्रत्येक तीन साल में एक बार विभाग के सभी प्रहरी, वरिष्ठ प्रहरी एवं मुख्य प्रहरियों को रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेना अनिवार्य रहेगा।

4. इस कोर्स हेतु केन्द्रीय/जिला/उप कारागृहों के कार्मिकों के नामांकन संबंधित उपमहानिरीक्षक कारागार रेंज, उच्च सुरक्षा कारागृह अजमेर के कार्मिकों का नामांकन कारागार रेंज उदयपुर, विशिष्ठ केन्द्रीय कारागृह श्यालावास, दौसा के कार्मिकों का नामांकन कारागार रेंज जयपुर, कारागार प्रशिक्षण संस्थान अजमेर के कार्मिकों का नामांकन प्राचार्य कारागार प्रशिक्षण संस्थान अजमेर तथा मुख्यालय के कार्मिकों का नामांकन महानिदेशालय कारागार द्वारा किया जाएगा।

5. कोर्स हेतु उन्ही कार्मिकों का नामांकन किया जावे, जो स्वस्थ हो तथा रोगग्रस्त अथवा चोटिल न हो।

6. पाठ्यक्रम:- कोर्स के दौरान पढ़ाये जाने वाले विषयों एवं पाठ्यक्रमों का विवरण निम्न है :-

6.1 इन्डोर प्रशिक्षण

6.1.1. कारागार प्रबन्धन से संबंधित विधि एवं नियम (भाग-प्रथम) :- 24 कालांश

(i) प्रिजन एक्ट व जेल मेनुअल के महत्तवपूर्ण प्रावधान

file:///C:/Users/Admin/Downloads/IMG_0020.

(ii) जेल बंद करने व खोलने से संबंधित जानकारी
(iii) पैरौल नियमों की सामान्य जानकारी, खुला बंदी शिविरों की कार्य प्रणाली
(iv) जेल फरारी के कारण व रोकथाम के संबंध में जानकारी
(v) बंदियों की मानसिकता का विश्लेषण
(vi) बंदी मृत्यु/आत्महत्या के कारण व बचाव के संबंध में सामान्य जानकारी
(vii) माननीय न्यायालयों के महत्तवपूर्ण आदेशों की जानकारी
(viii) राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यो की जानकारी
(ix) मुख्यालय कारागार द्वारा जारी परिपत्र एवं महत्तवपूर्ण आदेशों की जानकारी
(x) राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यो की जानकारी
(xi) समय पूर्व रिहाई
(xii) भारतीय दण्ड सहिंता(IPC), आपराधिक प्रक्रिया सहिंता (CRPC) और अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम
(xiii) विभिन्न प्रकार के वारन्ट

6.1.2. कारागार प्रबन्धन से संबंधित विधि एवं नियम (भाग-द्वितीय):-

12 कालांश

(i) आई.सी.जे.एस. के संबंध में जानकारी
(ii) ई-प्रिजन सॉफ्टवेयर की जानकारी
(iii) जेलों पर संघारित किये जाने वाले रिकार्ड से संबंधित जानकारी
(iv) सम्पर्क पोर्टल से संबंधित कार्यो की जानकारी
(v) विडियों कोन्फ्रेसिंग व सी.सी.टी.वी. की कार्य प्रणाली व रख रखाव के संबंध में जानकारी
(vi) विभाग के सुरक्षा उपकरणों की जानकारी
(vii) विभाग में प्रचलित हथियारों की जानकारी

6.1.3. सामान्य जागरूकता :-

12 कालांश

(i) कारागार विभाग का प्रशासनिक ढांचा एवं कार्यप्रणाली
(ii) आपराधिक न्याय प्रशासन में कारागार व्यवस्था का स्थान एवं विधिक दायित्व

(iii) कारागार विभाग में अनुशासन एवं आवश्यक सुरक्षा से संबंधित नवीन पहलुओं की जानकारी
(iv) मानवाधिकार नियम एवं कारागृहों में समसामयिक उपादेयता
(v) समाजशास्त्र की कारागृह प्रशासन में उपयोगिता
(vi) कारागृहों में बंदी समूह निर्माण के आधार एवं प्रभाव
(vii) आपराधिक व्यवहार के कारण
(viii) सूचना अधिकार अधिनियम से संबंधित जानकारी
(ix) बंदी चिकित्सा
(x) राजकाज

6.1.4. कारागार विभाग के कार्य संचालन में आने वाली विधिक कार्यवाही व विधिक प्रावधान :- 12 कालांश

(i) कारागृह में बंदियों की शिनाख्त परेड
(ii) कारागृह में तलाशी के दौरान बरामद निषिद्व वस्तु मिलने पर कि जाने वाले कार्यवाही की जानकारी
(iii) कारागार अधिनियम की धारा 42 एवं 58 की जानकारी
(iv) कारागृहों पर बलवा/बंदियो में झगडा होने पर की जाने कार्यवाही की जानकारी
(v) बंदी द्वारा आत्महत्या करने व मृत्यु होने पर की जाने वाली कार्यवाही के विविध प्रावधानों की जानकारी, सूचना कहाँ भेजनी है व कब भेजने की है की जानकारी
(vi) 176 सी.आर.पी.सी. के तहत की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी
(vii) बंदी का कोर्ट में प्रोडक्शन

6.2 आउटडोर प्रशिक्षण

6.2.1 शारीरिक व्यायाम :- पी.टी/योग 12 कालांश

6.2.2 ड्रिल- सामान्य जानकारी/क्वार्टरगार्ड सलामी :- 12 कालांश

6.2.3 मस्केट्री- नवीन हथियारों के संबंध में सामान्य जानकारी :- 12 कालांश

4/1/2022, 6:19 PM

7. कोर्स हेतु समय सारणी निम्नानुसार होगी :-

कालांश	समय	विषय
01.	06:30 से 07:15 ए.एम. तक	पी.टी.
02.	07:15 से 08:00 ए.एम.	ड्रिल एवं हथियार सिखलायी
	08:00 से 8:30 ए.एम. तक	ब्रेक
03.	08:35 से 09:20 ए.एम. तक	मस्केट्री एवं हथियार सिखलायी
04.	10:00 से 10:45 ए.एम. तक	कारागार प्रबन्धन से संबंधित विधि एवं नियम (भाग-प्रथम)
05.	10:45 से 11:30 ए.एम. तक	कारागार प्रबन्धन से संबंधित विधि एवं नियम (भाग-प्रथम)
	11:30 से 11:45 ए.एम. तक	चाय/ब्रेक
06.	11:45 से 12:30 पी.एम. तक	कारागार प्रबन्धन से संबंधित विधि एवं नियम (भाग-द्वितीय)
07.	12:30 से 01:15 पी.एम. तक	सामान्य जागरूकता
	01:15 से 01:45 पी.एम. तक	लंच ब्रेक
08.	01:45 से 02:30 पी.एम. तक	कारागार विभाग के कार्य संचालन आने वाली विधिक कार्यवाही व विधिक प्रावधान
	05:00 पी.एम. से	खेलकूद/श्रमदान

8. कोर्स के दौरान समस्त प्रशिक्षु मैदान में निर्धारित गणवेश में रहेगे।

9. कोर्स के लिए उपस्थित होने वाले कार्मिक निर्धारित गणवेश सहित अपने साथ मैस अग्रिम जमा हेतु रूपये 1500 एवं स्वंय के कपडे साथ लेकर आयेगें।

(भूपेन्द्र कुमार दक)
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार, राजस्थान

file:///C:/Users/Admin/Downloads/IMG_0020.p

4/1/2022, 6:19 PM
5 of 5

प्रतिलिपिः–

1. अति.मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, कारागार, राजस्थान।
3. महानिरीक्षक पुलिस/कारागार, राजस्थान।
4. उप महानिरीक्षक कारागार, रेंज जयपुर/जोधपुर/उदयुपर।
5. प्राचार्य,कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
6. समस्त प्रभारी, कारागृह/सुधारगृह/उप कारागृह, राजस्थान।
7. अधीक्षक, मुख्यालय, कारागार, राजस्थान।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार, राजस्थान

file:///C:/Users/Admin/Downloads/IMG_0020.p